

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,  
85/87-राजपुर रोड, देहरादून।

फैक्स:-0135-2741607 ई-मेल:-ccpfmua@gmail.com

पत्र संख्या- नि० ५२७ /3-5 (सामान्य)  
सेवा में,

देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2017

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन विभाग उत्तराखण्ड।


**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना  
"2406-01-101-05-00- वनो की अग्नि से सुरक्षा" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का  
आवंटन किये गये के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** वित्त नियंत्रक का पत्रांक नि० 360/3-5(व०अ०सु०) दिनांक 17.08.2017।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।  
इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत  
उपलब्ध करायी गयी धनराशि प्रभाग की संवेदनशील वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा कार्यों हेतु अनुदान के  
रूप में देने हेतु की गयी है। प्रश्नगत मद में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने वन संरक्षक के मार्गदर्शन  
प्राप्त कर वन पंचायत चयनित व उनको दी जानी वाली धनराशि को निर्धारित की जाये, जिससे वन पंचायतों  
में वनाग्नि सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु कराये गये कार्यों हेतु ही भुगतान किया जाना है।

भवदीय,

  
(गम्भीर सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्या: नि. ५२७ /3-5 (सामान्य) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमाऊँ एवं शिवालिक जोन।
4. सम्बन्धित वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत योजना के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत प्रभागों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग हेतु अपने अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारी को उचित दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।

  
(गम्भीर सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।